न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 107/2019

प्रार्थीगण

1. मांगूसिंह पुत्र भंवरसिंह उर्फ जब्बरसिंह
2. श्यामसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. श्रवणसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. गोपालकंवर पत्नी कल्याणसिंह
5. हनुमानसिंह पुत्र मेगसिंह

जाति–राजूपत निवासी–आगेवा तहसील– जैतारण जिला–पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मला पुत्र रावत फौत के का.मु.
   1/1 तुलछा पुत्र मल्ला
   1/2 माडकी पत्नी मल्ला
2. धीरा पुत्र रावत फौत के का.मु.
   2/1 चन्दणाइ पत्नी धीरा
   2/2 केसाराम पुत्र धीरा
3. हुक्मा पुत्र रावत
4. काना पुत्र रावत
5. अणदाराम पुत्र शूराराम
6. नारायण पुत्र शूराराम
7. हींगली बेवा शूराराम
8. लाबु पुत्र घीसा
9. गुणाराम पुत्र घीसा
10. ढगलाराम पुत्र घीसा
11. चन्दाराम पुत्र घीसा
12. बीरमराम पुत्र घीसा
13. हेमाराम पुत्र घीसा
14. मालाराम पुत्र पूनाराम
15. पूखाराम पुत्र पूनाराम
16. पाबुराम पुत्र संग्राम
17. भानाराम पुत्र संग्राम
18. किशनाराम पुत्र संग्राम
19. जसाराम पुत्र पेमाराम
20. सुखाराम पुत्र पेमाराम
21. भेरा पुत्र ओगड़
22. राजु पुत्र ओगड़
23. ढगलाई बेवा ओगड़
24. धर्माराम पुत्र भगाराम
25. चेनाराम पुत्र भगाराम
26. सुकड़ी बेवा भगाराम
27. दुर्गाराम पुत्र भोलाराम
28. मदनलाल पुत्र भोलाराम
29. सुवटी बेवा भोलाराम
30. छगनाराम पुत्र खुमाराम
31. गोपूराम पुत्र खुमाराम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

32. दुदाराम पुत्र मेगाराम
33. अबाराम पुत्र मेगाराम
34. मंगला पुत्र नेतीराम
35. जोगाराम पुत्र चौलाराम जाति- सीरवी निवासी- आगेवा तहसील- जैतारण जिला-पाली राज
36. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.11/07/2019**

उपस्थितः-

1. श्री चुतराराम भाटी, जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 26/02/2020**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा- आगेवा तहसील- जैतारण में खसरा नंबर 722/1, 724, 725 कुल खसरा तीन कुल रकबा 23-01 बीघा आई हुई है। प्रार्थी संख्या 02 से 05 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा आगेवा में खसरा नंबर 722, 726, 727, 728, 729 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0-12 बीघा गैर मुमकिन बेरा प्रार्थीगण के नाम आया हुआ है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि तथा कुएं पर रहवासीय मकान के पश्चिम में अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 739 रकबा 155-02 बीघा कृषि भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी के पश्चिम में चिपते ही खसरा नंबर 579 एक रास्ता/सड़क जो गांव आगेवा से कुशालपुरा जाता है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से प्रमाणित है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि की खड़ाई बुवाई आदि पूर्व में बैलों से व वर्तमान में ट्रेक्टर से आम रास्ता जो आगेवा से कुशालपुरा जाने के रास्ते से अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत की उत्तरी मांठ अर्थात आम रास्ते के पश्चिम से पूरब की तरफ बिना किसी रोकटोक के कदीमी रूप पीढियों से आते जाते है तथा इस रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में पश्चिमी दिशा में बिन्दू ए बी से पूर्व दिशा में सी डी हरे रंग से बताया है जिससे होकर अपने खेतों व कुएं पर बने रहवासीय मकान में आने जाने के काम में कदीमी लेते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा बताये नजरी नक्शे में हरे रंग के रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता खेतों व कुएं पर बने रहवासीय मकान में आने जाने का नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने नजरी नक्शे में जो रास्ता हरे रंग का बताया है जो सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सद्भाविक भूल के कारण रेकर्ड में रास्ता का इन्द्राज नहीं किया गया, जबकि खसरा नंबर 739 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत है जिसका नापचौप आज से 15-16 वर्ष पूर्व किया तब उनके रकबा 155-02 बीघा से 02 बीघा अधिक कृषि भूमि पाई गई। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि से अधिक भूमि जो रास्ते की है उसको राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

रेकर्ड में रास्ते का इन्द्राज करवाने बाबत कही बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण ने हर बार आश्वासन दिया कि हमारी भूमि से ज्यादा 02 बीघा भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ता का इन्द्राज करवा देंगे। परन्तु वर्तमान में जमीनों की कीमतें बढने के कारण अप्रार्थीगण की नियत में खोट आ गयी व दिनांक 02/01/2014 को नजरी नक्शे में बताये बिन्दू ए बी व सी डी पर पाला लगाकर रास्ता बंद कर सी डी पर पाला लगाकर रास्ता बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण को स्वयं को व पानी का ट्रेंकर व बुवाई आदि के लिए ट्रेक्टर बैलगाड़ी आदि लाने ले जाने में कठिनाई उत्पन्न कर दी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि पर पाला लगाने व उसे अवरुद्ध करने बाबत् मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि यह हमारी खातेदारी की भूमि है इस पर किसी प्रकार का कोई रास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा जबकि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि से अधिक भू भाग यानि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इसके अतिरिक्त भी प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि की बुवाई भी नहीं कर सकता है व स्वयं के व मवेशियों के पीने के लिए पानी के टेंकर लाने ले जाने में भी दिन प्रतिदिन क्षति हो रही है। नजरी नक्शे में बताये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण काश्तकार है तथा एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि को खड़ाई बुवाई हेतु तथा अपने खातेदारी के खेत पर बने रहवासीय मकान में आने जाने हेतु साधान ट्रेक्टर आदि ले जाने बैलगाड़ी आने जाने व मवेशीयों के लिये आने जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी निकटतम रूट से होकर नया मार्ग जो कि मार्ग 30 फिअ तक की चौड़ाई में विस्तार कर दिये जाने बाबत एक आदेश भी पारित किया है। जिसके आधार पर भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। इस रास्ते बाबत प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि भी बदले में अप्रार्थीगण को देने के लिये कई बार निवेदन किया इसलिए उपरोक्त कारणों से नजरी नक्शे में बताये रास्ते को रास्ते के रूप में नक्शा ट्रेस में भी तरमीम किया जावें। अप्रार्थी संख्या 36 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिन्हें प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के तहत अन्दर मयाद पेश है तथा निश्चित न्याय शुल्क पेश है तथा प्रार्थनापत्र श्रीमान के सुनवाई व श्रेत्राधिकार का है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1/1, 1/2, 2/2, 16, 27, 33 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, जो सामिल मिसल है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1/1 तुलछाराम, 1/2 माडकी, 2/2 केसाराम, 16 पाबुराम, 27 दुर्गाराम व 33 अबाराम की ओर से निम्नलिखित है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 से 03 रेकर्ड सें सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 गलत बनावटी एवं काल्पनिक है प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से पूर्व में व वर्तमान में कभी न तो आनाजाना करते थे न ही अपने बेल, ट्रैक्टर इत्यादि साधन लाते ले जाते थे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खातेदारी में से होकर बेल व ट्रैक्टर आदि लाने व ले जाने के कथन प्रार्थना पत्र में पूर्णतः गलत व झूठे अंकित किये है तथा उनकी उतरी माठ के पास में पूर्व-पश्चिम की तरफ रास्ता वादीगण की पीढीयों से आने जाने के कथन भी प्रार्थना पत्र में पूर्णतया गलत अंकित किये है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा भी प्रार्थीगण का काल्पनिक व गलत है तथा उसमें वर्णित पश्चिम दिशा में बिन्दु ए बी से पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

दिशा में बिन्दु सी डी हरें रेंग वाला रास्ता होने के कथन भी गलत है। क्योंकि प्रार्थीगण के नजरी नक्शे में बिन्दु ए बी सी डी हरें रंग का मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण ने अपने नजरी नक्शे में बताये बिन्दु ए बी सी डी हरें रंग का रास्ता दर्शाया है व पटवारी पटवार हल्का आगेवा द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.01.2014 में प्रार्थीगण द्वारा बताये स्थान पर मौके पर कई पर भी पगडण्डी या रास्ते के अलामात या डिमार्केशन भी बिल्कुल नहीं है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व नजरी नक्शे में बताये स्थान पर कोई पगडण्डी या रास्ते के अलामात नहीं होना साबित है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार करते है प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे में रास्ता हरें रंग से बताया है परन्तु मौके पर कुछ भी नहीं है तो सेटमेन्ट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गलती करने का प्रार्थीगण का कथन ही गलत है अर्थात मौके पर रास्ता या पगडण्डी नहीं है तो राजस्व कर्मचारी रेकर्ड में कैसे इन्द्राज करेंगे तथा पटवार हल्का आगेवा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 17.01.2014 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार '' खसरा नंबर 739 का बिना विधिक बंटवाड़े के प्रस्तावित रास्ता दर्ज किया जाना संभव नहीं है'' तथा बिन्दु संख्या 03 के अनुसार खसरा नंबर 739 में लगभग 35-40 सहखातेदार है जिनका मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नही है जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता किसके हिस्से में से होकर प्रस्तावित है इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौके पर रास्ता या पगडण्डी नहीं है तो पाला लगाकर रास्ता बंद करने के कथन पूर्णतया गलत व काल्पनिक है। मौके पर पगडण्डी या रास्ता है ही नहीं तो उसे अवरूध करने का प्रश्न ही नहीं उठता प्रार्थीगण के उकत कथन गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि रेकर्ड में वर्णितानुसार नाप के अनुसार बिल्कुल सही है। प्रार्थीगण आबदी मौजा आगेवा से एक रेकर्डडेड रास्ते से होकर अपने अपने मकानात व कुओं पर करीब 100 वर्षो से आना जाना करते है तथा अपने पशु ट्रैक्टर व अन्य संसाधन इसी पुराने एवं कदीमी रास्ते से लाते व जाते है तथा उक्त पुराना कदीमी रास्ता जो खसरा नंबर 59 सरकारी पइत भूमि से शुरू होकर रेकर्ड में दर्ज सुदा रास्ता है जिसका नजरी नक्शा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसका तमाम विवरण जबाव प्रार्थना पत्र के विशेष विवरण में अंकित किया जा रहा है। तथा प्रार्थीगण 100 सालों से आज दिन तक उसी रेकर्ड सुदे रास्ते से आते जाते व अपने पशु ट्रैक्टर वगैरा लाते व ले जाते है तथा यह रास्ता करीब 8-10 बेरे-बेरा उला, चौकीदारों की रेल, बेरा भडेट, अजबोरा, बेरा भेरूर, बेरा हीरिया, बेरा बोदला, बेरा अदायली तथा प्रार्थीगण का बेरा पेला पर जाने व आने का यही रास्ता है तथा उक्त बेरों पर खातेदारान एवं प्रार्थीगण के रहवासी मकानात आये हुए है तथा उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग उपरोक्त सभी बेरे पर के रहवासी खातेदारान द्वारा काम में लिया जा रहा है तथा उक्त रास्ता पूर्व व वर्तमान में मौजूद है जो राजस्व रेकर्ड नक्शा में इन्द्राजसुदा है। इसके अलावा फिकरे के अन्य तथ्य गलत है। अप्रार्थीगण की खातेदारी का नाप चौप 15-16 वर्ष पूर्व किया गया तो उस वक्त प्रार्थीगण ने रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश क्योंकि नहीं किया। इसलिए सन् 2014 यानि करीब 15-16 साल बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से उक्त प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ट्रेस व नजरी नक्शा में वर्णित बिन्दु ए बी सी डी लाल रंग का पुराना रास्ता जो आबादी मौजा आगेवा से शुरू होकर खसरा नंबर 590 सरकारी पइत भूमि से होता हुआ रेकर्ड में दर्शाया गया है जो प्रार्थीगण एवं अन्य बेरे के रहवासी खातेदारान के मकानात व कुओं पर जाता है उक्त रास्ता 100 वर्ष पूर्व डाली हुई है तथा

उपखण्ड अधिकारी
सैनारण (पाली)

Scanned with CamScanner

जलदाय विभाग ने पानी की पाईप लाईन करीब 20 वर्ष पूर्व डाली हुई है तथा जलदाय विभाग का जीएलआर भी इसी रास्ते में बना हुआ है तथा उक्त रास्ते में कार्यालय ग्राम पंचायत आगेवा ने नरेगा कार्य के तहत पंचायत में प्रस्ताव दिनांक 19.01.2016 लेकर मुडिया रोड़ बनाई है। जिसकी प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त मुडिया पुराना एवं परम्परागत रास्ता जो प्रार्थीगण का बेरा पेला तक जाता है तथा उक्त रास्ते के बीच में बेरा चौकीदारों की रेल, बेरा भडेट, अजबोरा, बेरा भेरूर, बेरा हीरीया, बेरा बोदला, बेरा अदायली तथा बेरा पेला तक जाता है तथा उक्त ढेरे के रहवासी व्यक्तियों द्वारा अपने पशु एवं ट्रैक्टर वगैरा इसी रास्ते से लाते व ले जाते है तथा उसमें बेरा अदायली, बेरा बोदला, बेरा हीरीया पर रहने वाले खातेदारान प्रार्थीगण के भाई बंध है तथा यह सभी इसी कदीमी रास्ते से आते जाते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को जवाब प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावे। जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व नजरी नक्शा दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता मौके पर व फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मौजूद नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की, जो सा.मि. है। लिखित बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 व 04 में वर्णित कथन है कि उनके कुए तथा रहवासी मकान के पश्चिम में प्रार्थीगण की खसरा नंबर 739 रकबा 155-02 बीघा भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी की स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के उतरी माठ पश्चिम से पूर्व की तरफ आम रास्ता बताकर रास्ते की मांग की है तथा प्रार्थीगण अपने नजरी नक्शे में हरे रंग से बिन्दू एबीसीडी रास्ता बताया है, उस स्थान पर मौके पर कोई रास्ता या पगडण्डी वगैरा नहीं है न ही उसके निशान या आलामात ही मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण के आवेदन पर पटवारी पटवार हल्का आगेवा ने दिनांक 17.01.2014 की मौका रिपोर्ट पेश की है जिसमें भी प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये स्थान अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 739 के उतरी माठ पश्चिम से पूर्व की तरफ आम रास्ता के न तो आलामात है न ही कोई डिमार्केशन ही है। इस प्रकार फर्द मौदा रिपोर्ट में ऐसा कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है। इसी तरफ फर्द मौका रिपोर्ट में जो डिमार्केशन अंकित है उस स्थान पर प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ते की मांग ही नहीं की है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से न तो प्रार्थीगण के नजरी नक्शे से साबित है न ही पटवारीजी की मौका रिपोर्ट से साबित है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावे। वैसे भी धारा 251 क (1) (ख) का खण्ड-1 के अनुसार यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है ओर यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और खण्ड द्वितीय के अनुसार अन्य खातेदारान की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। तो आदेश द्वारा आवेदक को नये मार्ग का खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना का आदेश दिया जा सकता है। परन्तु प्रार्थीगण पिछले 100 वर्षो से खसरा नंबर 590 से होते हुए रेकर्डड रास्ता खसरा नंबर 587/1 से होते हुए अपने बेरे पेला पर आते जाते व अपने मवेशी तथा ट्रैक्टर वगैरा लाते ले जाते है। तथा अन्य बेरे के रहवासियों का भी आना जाना इसी रेकर्डड रास्ते से पीढियों से आते जाते है। इस कारण प्रार्थीगण को अन्य नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। अतः बहस अप्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

विद्वान अधिक्ता प्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक नजीर पेश कीः-

RRT - 2016 (2) PAGE- 1149

विद्वान अधिक्ता अप्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक नजीर पेश कीः-

1- RRT - 2014 (1) PAGE- 40

हमनें उपर्युक्त न्यायिक नज़ीरों का ससम्मान अध्ययन, अवलोकन एवं मनन करते हुए प्रार्थना-पत्र के अंतिम विनिश्चय करने में इनका यथोचित उपयोग किया।

हमनें प्रकरण में बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी तथा उस पर मनन किया। प्रकरण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2016 को अपास्त करते हुए अपीलांट्गण/अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय करते हुए निस्तारण करने के निर्देश के साथ दिनांक 26.04.2019 को प्रतिप्रेषित किया गया है। हमनें प्रकरण के अपीलांट्गण एवं अन्य सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रास्ते सम्बन्धी प्रकरणों में संक्षिप्त जांच उपरान्त निस्तारण अपेक्षित होता है। तहसीलदार जैतारण ने अपनी जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम-आगेवा तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 739 रकबा 155-02 किस्म चाही दोयम जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के ठीक पश्चिम में और निकटतम अभिलिखित रास्ते खसरा संख्या 579 आगेवा से कुशालपुरा जाने वाले गै.मु. रास्ते के ठीक पूर्व में स्थित है। हमनें तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र का भली-भांती अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा मात्र सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है बल्कि रास्ते की आवश्यकता पूर्णतया आत्यंतिक है। प्रार्थी को नियमानुसार निकटतम रिकॉर्डेड रास्ते से न्यूनतम दूरी के वैकल्पिक रास्ते को प्रदान किया जा सकता है। अतः इस हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम-आगेवा, तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 739 के उत्तरी माठ से लगता हुआ ग्राम आगेवा से कुशालपुरा जाने वाले आम रास्ते खसरा संख्या 579 के पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 627 की पूर्वी सीमा जो कि अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 739 एवं प्रार्थीगण के खसरा संख्या 727 के मध्य में स्थित है तक 13 फिट चौड़ा जिसका रकबा 12 बिस्वा है, को रास्ते के रूप में दिया जाना हम विधिसंगत मानते है। तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि की डीएलसी दर जो कि 1,05,460/- रूपये प्रति बीघा है अतः अधिकतम डीएलसी दर की दुगुनी दर अर्थात 2,10,926/- रूपये प्रतिबीघा मानते हुए रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की कुल रकबा 12 बिस्वा हेतु प्रतिकर राशि 1,26,552/- रूपये बनती है जो प्रार्थीगण से प्राप्त की जाकर अप्रार्थीगण को भुगतान की जानी है तथा उक्त 12 बिस्वा प्रस्तावित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता सिवाय चक के रूप में अंकन किया जाना तथा नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा- आगेवा, तहसील-जैतारण जिला- पाली राज. के खसरा संख्या 739, रकबा 155-02 बीघा, किस्म चाही दोयम में से 12 बिस्वा भूमि,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

उतरी मांठ अर्थात ग्राम–आगेवा से कुशालपुरा जाने वाले आम रास्ते के पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने वाली मांठ के सहारे–सहारे 13 फिट चौड़ाई जिसका रकबा 12 बिस्वा है। इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैर मुमकिन रास्ता, सिवाय चक दर्ज किए जानें के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि खसरा संख्या 739 की प्रचलित डी.एल.सी दर 1,05,460/– रूपये प्रति बीघा के आधार पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते के कुल रकबा 12 बिस्वा की कुल राशि 1,26,552/– (अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार पांच सौ बावन रूपये मात्र) प्रार्थीगण से वसूलकर अप्रार्थीगण को भुगतान करें। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावें एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाएं तो उन्हें हटाएं। यदि अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावे, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलंब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/02/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.03.03 11:32:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: